

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

क्रमांक एफ 2-7/सात-3/2008
प्रति,

रायपुर, दिनांक 30/05/2012

- विषय:- 1.समस्त संभागीय आयुक्त,छत्तीसगढ़
2.समस्त कलेक्टर,छत्तीसगढ़
राजस्व अधिकारियों द्वारा शोध क्षमता प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिए
हिदायतें।
- संदर्भ:- राजस्व विभाग ज्ञापन क्रमांक 1932/सा-1/सात ,दिनांक 15.5.1979

राज्य शासन एतद् द्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-छ: क्रमांक-तीन के तहत मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,के ज्ञापन क्रमांक 1932/सा-1/सात ,दिनांक 15.5.1979 की कण्डिका-दो में उल्लेखित प्रावधान के स्थान पर, निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित करता है:-

2- "छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,मंत्रालय,रायपुर का अधिसूचना क्रमांक 4-124/सात-3/2011 दिनांक 16.12.2011 के अनुसूची के सरल क्रमांक-3 में उल्लेख अनुसार -

तहसीलदार-	5,00000 लाख तक
अनुविभागीय अधिकारी	25,00000,लाख तक
कलेक्टर	25,00000 लाख से उपर

के शोध क्षमता प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगे।"

3- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(आर0पी0 राठिया)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 30/05/2012

पृ0क्रमांक एफ 2-7/सात-3/2008

प्रतिलिपि:-1- प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री,सचिवालय,छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर

2- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय,रायपुर।

3- सचिव, राजभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़


4- सचिव, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर छत्तीसगढ़

5- अवर सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय मंत्रालय, रायपुर

6- शासन के समस्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन

7- समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग